

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२५१)-०२-०८/२०२६-३३६

२५/०३/२०२६

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष "२२५१-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-०९०-सचिवालय, उपशीर्ष-००२३-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड-४४-२२५१०००९०००२३ (मॉग संख्या-४४) के अन्तर्गत ०१०१-वेतन ईकाई में कुल ₹३५३.५८ लाख (तीन करोड़ तीरपन लाख अठारह हजार ५८)के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि "२२५१-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ उपमुख्यशीर्ष-००, लघु शीर्ष-०९०-सचिवालय, उपशीर्ष-००२३-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड-४४-२२५१०००९०००२३ (मॉग संख्या-४४) के अन्तर्गत ०१०७-अन्य भत्ता ईकाई में ₹०.७० लाख(सत्तर हजार ५०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव।

आदेश- स्वीकृत।

२- बिहार वित्तीय नियमावली भाग १ के नियम ४८९ योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "मुख्य शीर्ष "२२५१-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-००, लघु शीर्ष-०९०-सचिवालय, उपशीर्ष-००२३-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड-४४-२२५१०००९०००२३ (मॉग संख्या-४४) के अन्तर्गत ०१०७-अन्य भत्ता ईकाई में ₹०.७० लाख (सत्तर हजार ५०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

३- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

४- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

५- इस राशि के निकाली एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२५१)-०२-०८/२०२६-३३६ पटना,दिनांक-२५/०३/२०२६
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- सं०सं०-८डी०(पुनर्विनियोग-२२५१)-०२-०८/२०२६-३३६ पटना,दिनांक-२५/०३/२०२६
प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव/उप निदेशक(मु०) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (८डी०)/प्रशाखा पदाधिकारी-०७ जी०/लेखा शाखा/आईटी०गैजेटर, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

१५/३

अतिरिक्त/अनुदान
के लिए आवेदन-पत्र।
पुनर्विनियोग

झांप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष
"2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ,उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष
-0023-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड-44-
2251000900023 (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 0107-अन्य भत्ता ईकाई में ₹0.70 लाख (सत्तर
हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु

.....के क्रम में

..... स्वीकृति के लिए

..... को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।
प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन

पदाधिकारी का पदनाम - अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
विभाग, बिहार, पटना।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में
स्पष्टीकरण

पुनर्विनियोग यदि कुछ हो- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष झांप सं० बिहार वित्तीय
नियमावली भाग 1 के नियम 489 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष
"2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ,उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष -0023
-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" विपत्र कोड-44-2251000900023 (मॉग
संख्या-44) के अन्तर्गत 0101-वेतन ईकाई में कुल ₹353.58 लाख (तीन करोड़ तिरपन लाख अंठावन
हजार रू०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से "2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ ,उपमुख्य
शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष -0023 -अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण
विभाग" विपत्र कोड-44- 2251000900023 (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 0107-अन्य भत्ता ईकाई में
₹0.70 लाख (सत्तर हजार रू०) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।

सचिव

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना

स्ताग 2 और 3 तथा स्ताग 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

✓

अनुसूची: 53-प्रपत्र सं0-212

अनुदान
अनुदान/विनियोग

सं0.8डी0 (पुनर्विनियोग-2251)-02-08/2026

वृहत शीर्षक:- 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाए-00-090-सचिवालय, 0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (विपत्र कोड-44-2251000900023)

मांग संख्या- 44

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है (44-2251000900023)							शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है (44-2251000900023)				
विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संग्रहित खर्च।	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संग्रहित खर्च।	प्रत्यापित राशि।	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0023.0107-अन्य भत्ता	रु0 61000	रु0 61000	रु0 131000	रु0 70000	रु0 131000	0023.0101-वेतन	रु0 35358000	रु0 35358000	रु0 35288000 कुल:- 70000 (सत्तर हजार)	रु0 70000 70000 (सत्तर हजार)	रु0 35288000

टिप्पणी- (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखायें जायें, जिनसे इकाई संबंधित हो।
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर, दिखाई जाय।
 (ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।
 (ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा पीठ पीठ पर दिया जाय।

अनु0 जाति एवं अनु0 कल्याण विभाग, बिहार, पटना